



118/1

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4691 / 05/76/एक/2017-18
सेवा में,

दिनांक : 23 फरवरी 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-महराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निम्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	21246245151	IFSC Code ALLA0212192	174.55

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
1	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 14 लोहियानगर में श्री नूर लैड के मकान से श्री मुरारी के मकान होते हुये श्री दरोगा लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.102
2	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 02 शिवनगर में जख्मी के प्लाट से भकोल के प्लाट होते हुए परदेसी के प्लाट के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.034
3	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 08 राजीवनगर में प्रदीप के पास बगीचा से श्री संजय वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.549
4	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 08 राजीवनगर में महेन्द्र मास्टर के मकान से श्री यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.248
5	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 24 सक्सेनानगर में श्रीमती गीता देवी श्री अनीरुद्ध जयसवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.086
6	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 14 लोहियानगर में श्री धनई के मकान से श्रीमती सुमित्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.619
7	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 17 पड़री बुजुर्ग में श्री जवाहर के मकान से श्री नन्द त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.582
8	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 17 पड़री बुजुर्ग में श्री सत्ते की दुकान से मिथिलेश तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.791



118/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किस्त)
9	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्रनगर में मो० इदरीश के मकान से उमेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	44.267
10	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 06 गांधी नगर में पिच रोड/पक्की सड़क से श्री डेवा के प्लॉट होते हुये श्री पारस हरिजन के प्लॉट तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.857
11	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 01 नेहरू नगर में चतुर्धन गुप्ता के प्लॉट से श्री राधेश्याम के प्लॉट तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	18.141
12	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 06 गांधी नगर में श्री रामजतन केवट के प्लॉट से झकरी साहनी के प्लॉट तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13.274
	योग				174.55

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



118/3

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अधिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक